भाग 1

# प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सिकंदरपुर बलिया क्रम 2022059005209

आवेदन संख्या : 202200976003161

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2022-10-18 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम मुक्तेश्वर नाथ मौर्य

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 10000 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 500

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 100

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख़्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 600

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2022-10-18 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश
प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2022-10-18 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

IV 51/22

# INDIA NON JUDICIAL

## Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

SIGNATURE
Virendra Nath Yadav ACC, Code-UP14233004
ACC, Add.-Vill+Post-Bahadura
Licence No.-268/1995
Tehsil-Sikanderpur, District-Ballia (U.P.)

₹1,200

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP26745638693006U |
| Certificate Issued Date | : | 18-Oct-2022 12:09 PM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14233004/ SIKANDARPUR/ UP-BAL |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP1423300446010392414917U |
| Purchased by | : | MUKTESHWAR NATH MAURYA SO SHRI HARIKRISHNA MAURYA |
| Description of Document | : | Article 64 (A) Trust - Declaration of |
| Property Description | : | AS PER DOCUMENT |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | MUKTESHWAR NATH MAURYA SO SHRI HARIKRISHNA MAURYA |
| Second Party | : | NA |
| Stamp Duty Paid By | : | MUKTESHWAR NATH MAURYA SO SHRI HARIKRISHNA MAURYA |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 1,200 (One Thousand Two Hundred only) |

सत्यमेव जयते

IN-UP26745638693006U

Please write or type below this line

मुक्तेश्वर नाथ मौर्य

0006650346

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

इण्डियन ट्रस्ट एक्ट १८८२ के अर्न्तगत कार्यरत ट्रस्ट

# हरिकृष्ण-बालकृष्ण स्मारक शिक्षण-प्रशिक्षण सेवा ट्रस्ट

ग्राम-हरनाटार, पोस्ट-बघुड़ी, तहसील-सिकन्दरपुर, जिला-बलिया,उ०प्र०,भारत वर्ष ।

यह न्यास विलेख आज दिनॉक १८-१०-२०२२ को तहसील-सिकन्दरपुर जिला- बलिया में श्री मुक्तेश्वर नाथ मौर्य जन्मतिथि ०१-०७-१९७१ पुत्र श्री हरिकृष्ण मौर्य ग्राम-हरनाटार, पोस्ट-बघुड़ी, तहसील-सिकन्दरपुर, जिला-बलिया,उ०प्र० के द्वारा घोषित किया गया है, जिन्हें आगे न्यासकर्ता/संस्थापक कहा जायेगा, न्यासकर्ता संस्थापक के पास रूपया १०,०००/- मात्र की राशि है । ( इस ट्रस्ट में १००००/- के अलावा कोई और सम्पति नही है ।) जिसे पुरूषार्थ एवं सामाजिक व धार्मिक कार्यों हेतु दान देने की इच्छा करते हैं । न्यासकर्ता/संस्थापक उक्त राशि का अप्रति न्यास बनाने हेतु इच्छुक है, जो समाज उत्थान एवं विशेष रूप से शिक्षा व स्वास्थ्य, धर्म के क्षेत्र में कार्य करेगा ।

इस ट्रस्ट में किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति को न तो समाहित किया गया है, और न ही ट्रस्ट में इस समय किसी प्रकार की अचल सम्पत्ति का ही स्थानान्तरण किया जा रहा है।

ट्रस्ट का न्यासकर्ता ही मैनेजिंग ट्रस्टी होगा, जिसे आगे ट्रस्ट का प्रबन्धक कहा जायेगा । न्यासकर्ता/संस्थापक/प्रबन्धक की यह भी इच्छा है कि वह अपने विभिन्न श्रोतों से दान, अनुदान, उपहार, डोनेशन,ऋण, चन्दा, आदि के द्वारा ट्रस्ट का कोष सम्पदा एवं साधन को और बढ़ाया जा सके । ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके ।

वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत **ग्राम-हरनाटार, पोस्ट-बघुड़ी, तहसील-सिकन्दरपुर, जिला-बलिया,उ०प्र०** है, अधिक सुविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समयानुसार समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा, एवं उसकी अन्य शाखाऐं खोली जा सकती है । न्यासकर्ता/ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उद्देश्य निम्न प्रकार धारा बद्ध घोषित किया जाता है ।

मुक्तेश्वर नाथ मौर्य

ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं :-

१: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मानव जाति के विकास एवं उन्नति के लिए पूर्व-प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालक/बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों ,कान्वेण्ट,विद्यालयों,बालश्रमिक विद्यालयों,आश्रम पद्धति विद्यालयों, संस्कृत विद्यालयों, बौद्ध विद्यालयों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विद्यालयों,अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू/अरबी/फारसी,हिन्दी,अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों/महाविद्यालयों,विकलाँग विद्यालयों,प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों,आँगन बाड़ी,बाल बाड़ी, पुष्टाहार योजनाओं,सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रमों, किसान महाविद्यालयों, चरवाहा विद्यालयों बालिका विद्यालयों/ महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन सम्पूर्ण भारत वर्ष सहित सम्पूर्ण विश्व में करने का प्रयास करना ।

२: निःशुल्क पुस्तकालयों,वाचनालयों, क्रीड़ास्थलों,छात्रावासों,अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, विधवाश्रमों, नारी निकेतनों, बालसंरक्षण गृहों सामुदायिक उत्पादन केन्द्रों ,संग्रहालयों, प्रयोगशालाओं,आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

३: बाल श्रमिकों का चिन्हींकरण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बंधुआँ मजदूरों को मुक्त करा कर उन्हें तथा बालश्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

४: विकलाँगों को निःशुल्क कृत्रिमअंग,भोजन,आवास,शिक्षा,वस्त्रादि प्रदान करना तथा उनके लिए कृत्रिमअंगों का क्रय व वितरण करना, तथा विकलाँग जन अधिनियम (सहभागिता,संरक्षण एवं अधिकार) १९९५ के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त समस्त योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

५: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत, कम्प्यूटर हार्ड वेयर,कम्प्यूटर साफ्ट वेयर,इण्टरनेट,साइबर कैफे,सिलाई,कढ़ाई,कटाई,कताई,बुनाई,तकनीकी, कुटीर, शिल्पकला, हस्तशिल्पकला, काष्ठकला,कम्प्यूटर,टंकण,आशुलिपि, इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स,पेटिंग, जरीकढ़ाई, चिकन कढ़ाई, कालीन बुनाई,दरी बुनाई ,मोटर ट्रेनिंग कालेजों ,कृषि अनुसंधान केन्द्रों ,फोटोग्राफी,ए.सी.,रेफ्रिजरेशन, एक्स-रे,टेक्नीशियन,लैब,पैथालोजिस्ट, मोबाइल रिपेयरिंग, मासकम्युनिकेशन, साफ्टट्वायज, कुकिंग ट्रेनिंग, हेल्थ केयर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एण्ड रिसर्च ट्रेनिंग, प्रेस रिर्पोटर,प्रेस ट्रेनिंग,होटल मैनेजमेन्ट एण्ड आफिस मैनेजमेन्ट,विजनेस डेवलपमेन्ट, ट्रेनिंग पेटिंग,आई०टी० आई०, बाम्बे आर्ट,पालिटेक्निक आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

६: जनविकास हेतु विचारगोष्ठियों,प्रवचन सभाओं,अध्ययन शिविरों,स्मृति दिवसों तथा सांस्कृतिक उत्सवों का आयोजन एवं संचालन करना, तथा धर्मार्थ चिकित्सालयों की स्थापना एवं संचालन करना ।

७: नदियों में गन्दे नाले के पानी व कचरे को जाने से रोकने के लिए कार्यक्रम बनाना तथा उसका संचालन करना एवं गंगा सहित अन्य नदियों, नालों एवं पोखरों आदि की सफाई कराने का प्रयास करना ।

८: अल्पसंख्यक गरीब,अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति,विकलाँग, मेधावी,निराश्रित,असहाय,मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों बाल श्रमिको को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तकें व अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करना तथा उनके लिए छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना ।

९: पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करना तथा वृक्षारोपण करना । प्रदूषण नियंत्रण हेतु मवेशी खानों,पशु अस्पतालों ,प्रदूषण जाँच केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१०: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,यूनीसेफ,डब्लू०एच०ओ० ,सिडवीं,नाबार्ड,नोराड ,डूडा सूडा, अम्बेडकर ग्राम,समग्र ग्राम,स्वर्ण जयन्ती, स्वरोजगार,स्वजल धारा,सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में क्रियान्वित करना ।

११: बालक/बालिकाओ,कलाकारो,के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों,सेमीनारों ,गोष्ठियों, प्रदशर्नियो आदि का आयोजन,संचालन करना सफल बालक/बालिकाओ, कलाकारो को पुरस्कृत करना

१२: भारत सरकार,प्रदेशसरकार,जिला ,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन-विकास हेतु विशेषकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करना ।

१३: वाटरशेड व जल प्रबन्धन एवं मैनेजमेण्ट योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा शहरी एवं ग्रामीणांचलों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का प्रयास करना।

१४: मातृ शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क टीकाकरण शिविरों,पल्सपोलियो शिविरों,हेपेटाइटिस शिविरों,दवाखानों,चैरिटेबुल अस्पतालों,एड्स,अपंगता,कुष्ठ,अंधता निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

१५: कुटीर उद्योग को बढावा देने हेतु मोमबत्ती,अगरबत्ती,दियासलाई,वाशिंगपाउडर, ब्लीचिंगपाउडर, साबुन,अचार,मुरब्बा,चिप्स, चाकलेट,नमकीन,विस्कुट,नील,चाय,कागज की कप,प्लेट आदि बनाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१६: समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज,बाल विवाह,नशा,शराब,गाँजा,अफीम, भाँग,तम्बाकू आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

मुकेश्वरनाथ मौर्य

१७: गाँवों का विकास करना तथा गाँवों में निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,सफाई,पेयजल, तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना, तथा स्वच्छ छवि के लोगों को राजनीति में लाने हेतु १०० प्रतिशत मतदान कराना व भारत के हर नागरिक को पहचान पत्र दिलाने व भोजपुरी भाषा का विकास करने का प्रयास करना, तथा भारत को स्वच्छ एवं शक्तिशाली देश बनाना ।

१८: गृह मंत्रालय के अन्तर्गत (अधीन) एफ०सी०आर०ए०, ३५ ए० सी०, ३५ ए० सी० १ व २ की समस्त योजनाओं को संचालित कर देश एवं समाज का विकास करना तथा इसके अन्तर्गत इण्टरनेशनल गेटवे एकाउन्ट संचालित करने का प्रयास करना एवं भूतपूर्व एवं शहीद सैनिकों के आश्रित/परिवार जनों के कल्याण के लिए कार्य करना ।

१९: कस्तूरबा गाँधी योजना द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों को संचालित करना तथा इसके अन्तर्गत आने वाली शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

२०: युवाओं की माँगों को सरकार तक सद्भाव पूर्वक पहुँचाने का प्रयास करना तथा युवाओं में खेलों के प्रति जागरूकता पैदा करने का प्रयास करना ।

२१: दैवीय आपदा यथा बाढ़,सुखा,भूकम्प,महामारी,ओलावृष्टि,तूफान, आदि के समय लोगो की यथा सम्भव मदद करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन,आक्सीजन,दवा-इलाज, आवास,वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना ।

२२: वैकल्पिक ऊर्जा के श्रोतों एवं साधनों का विकास करना,उन पर महत्वपूर्ण शोध करना, उनके उपयोग के बारे में लोगों को जागृत करना,देश में आने वाले ऊर्जा संकट से बचने के लिए अधिकाधिक संख्या में वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों का प्रयोग करने के लिए लोगों को प्रेरित करना तथा इसके प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त ऊर्जा श्रोत मंत्रालय,भारत सरकार एवं वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान,उत्तर प्रदेश से अनुदान/सहायता प्राप्त कर कार्यशालाओं एवं गोष्ठियों का आयोजन विभागीय अनुमति से करना, तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने हेतु प्रचार-प्रसार करना ।

२३: कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।

२४: स्वास्थ्य के संदर्भ में जागरूकता फैलाना तथा इसके अन्तर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जन सामान्य को जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना ।

मुक्तेश्वरनाथ कौन

२५: स्वास्थ्य के क्षेत्र में चल रहे अनुसंधानों में विभिन्न प्रकार से सहयोग प्रदान करने का प्रयास करना तथा गर्भवती महिलाओं की निःशुल्क जाँच व परीक्षण कराना एवं समय-समय पर टीकाकरण आदि कराने का प्रयास करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास करना ।

२६: युवक व युवतियों में समाज सेवा देश सेवा,ग्राम सेवा,सदाचार ,कर्तब्य सहायता,सद्भाव आत्म विश्वास व स्वावलम्बन तथा भाईचारे की भावना जागृत करने का प्रयास करना

२७: राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम के अर्न्तगत चल रहें मलेरिया, काला आजार ,डेगू बुखार, चिकन गुनिया, कोरोना, जापानी इनसेफलाइटिस,फाइलेरिया,क्षय रोग,रजित रोग,राष्ट्रीय कार्यक्रम,राष्ट्रीय संचारी रोग, निगरानी कार्यक्रम, कैंसर, टी०बी०,चेचक,गिनी कृमि,याज थैलेसीमीया आदि के उन्मूलन एवं नियत्रंण हेतु कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा लोगों को प्रशिक्षित करना तथा स्वास्थ्य सुविधाये विभागीय अनुमति से प्रदान करने का प्रयास करना ।

२८: सरकार द्वारा चलाये जा रहें न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रमों के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की मूल भूत सुविधाओं को प्रदान करने में सहयोग प्रदान करना, तथा विश्व में भारत की पहचान बनाना एवं भारत को विश्वगुरू बनाने का प्रयास करना ।

२९: स्वास्थ्य, राष्ट्र व समाज निर्माण में सहयोग प्रदान करना तथा यूनानी, आयुर्वैदिक,एलोपैथिक, होम्योपैथिक,प्राकृतिक चिकित्सा एवं योगा आदि को बढ़ावा देने का प्रयास करना, तथा इस निमित्त विद्यालयों/महाविद्यालयों आदि की स्थापना व संचालन करना ।

३०: शहरों व गाँवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों, जनजागरूकता कार्यक्रमों,प्रर्दशनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,पेयजल सफाई आदि की व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।

३१: औषधि कार्यो के लिए जड़ी बूटियों का उत्पादन व संग्रह करना, आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना तथा उनके गुणवत्ता के बारे में लोगों को बताना तथा जल संरक्षण,जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

३२: गरीब असहाय,निराश्रित बालक/बालिकाओं की सामूहिक व पृथक-पृथक शादी विवाह कराना व उनके विवाह के समय यथाशक्ति भोज्य पदार्थ,टेन्ट आदि सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा विवाहोपरान्त प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रयास करना ।

३३: कृषि उत्पाद बढ़ाने का प्रयास करना तथा किसानों को नये तकनीकीयंत्रों, खादों,बीजों, कीटनाशक दवाओं उसर भूमि सुधार खादों के प्रयोग की विधि व मात्रा को बताना तथा उन्हें उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

भुवनेश्वरनाथ मौर्य

३४: औषधीय पौधो जैसे एलवोवेरा, अश्वगंधा, हल्दी, शतावरी,सागीन का पौधा, रतन जोत पौधा, सफेद मुसली आदि की खेती को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा किसानों को इसके बारे में निःशुल्क प्रशिक्षण देना एवं औषधीय कृषि को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना ।

३५: जीव-जन्तुओं के कल्याणार्थ लोगों में जागृति पैदा करना ,तथा जीव -जन्तुओं के प्रति क्रूरता के दृष्टिकोण को बदलना तथा लोगों के अन्दर जीव जन्तुओं के प्रति दया भाव पैदा करने का प्रयास करना ।

३६: युवक/युवतियों के विकास हेतु मोटर ट्रेनिंग कालेजों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना, तथा आध्यात्मिक व व्यवसायिक शिक्षा का प्रबन्ध करना ।

३७: जेटोफर के बीजों का किसानों को उचित मूल्य दिलवाने एवं उसका क्रय-विक्रय करने का प्रयास करना, तथा ट्रस्ट के विकास हेतु हर सम्भव प्रयास करना ।

३८: भारत व विश्व में योग के माध्यम से संयम एवं सदाचार का भाव जागृत करने का प्रयास करना, तथा समाज में फैले भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि को जड़ से समाप्त करने का प्रयास करना ।

३९: स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना तथा स्वदेशी खान-पान, रहन-सहन, दवा-इलाज, कपड़ा व स्वदेशी शिष्टाचार को बढ़ावा देने का प्रयास करना

४०: कृषि क्षेत्र में लोगों को स्वदेशी जैविक खादों को प्रयोग में लाने की सलाह देना तथा स्वदेशी जैविक खादों के निर्माण की विधि को लोगों बताना व स्वदेशी जैविक खाद को बनाने हेतु लोगों को प्रेरित करना ।

४१: कृषि यन्त्रीकरण को बढ़ावा देना तथा नये कृषि यन्त्रों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

४२: यूनानी,आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने एवं किसानों के विकास हेतु औषधीय पौधों व वृक्षों का रोपण करना व करवाना एवं उनकी देख-रेख करना तथा उनके प्रभाव के बारे में लोगों को बताना तथा इनसे होने वाले लाभ का प्रचार-प्रसार करना तथा जगह-जगह निःशुल्क यूनानी,आयुर्वेदिक चिकित्सालयों,शिविरों ,दवाखानों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

४३: संस्था विकास हेतु आयकर अधिनियम की धारा १२ (ए) एवं ८० जी (५ ) की मान्यता प्राप्त करने का प्रयास करना ।

४४: पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास करना तथा पर्यटन स्थलों की देख-भाल व सुरक्षा करने का प्रयास करना, तथा देश-विदेश से आये आगन्तुकों के लिए विश्रामकक्षों,भोजन, दवा-इलाज वस्त्रादि का प्रबन्ध करने का प्रयास करना ।

मुक्तेश्वर नाथ चौधरी

४५: पैरामेडिकल कालेज के अन्तर्गत नर्सिंगहोमों,फार्मेसी,पैथालाजी,रेडियोलाजी,फिजियोथेरैपी, ऑप्टोमिटी,कार्डियालाजी,सी०टी०/एम०आर०आई०,आडियो मीटरी,इक्यूपमेन्ट मेन्टेन्स, हास्पिटल,एडमिनिस्र्टेशन,ओ०टी०टेक० आदि प्रशिक्षण केन्द्रो व नर्सिंग होमों, चैरिटेबुल अस्पतालों, मेडिकल कालेजों, डेन्टल कालेजों, इन्जीनियरिंग कालेजों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

४६: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ओल्ड एज होम की स्थापना करना,जिसके अन्तर्गत बृद्ध पुरूष, महिला जो असहाय हो, उनके लिए आवासीय व्यवस्था करना उनकी देख-रेख चिकित्सा व उनके पुनर्वासन एवं अंतिम संस्कार की व्यवस्था के लिए कार्य करना ।

४७: किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था किसी राष्ट्रीय बैंक से ऋण,अनुदान आदि प्राप्त करना या किसी भी राजनेता यथा सांसद, विधायक,मंत्री,राज्यमंत्री ,राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, विदेशी सरकार आदि से सहायता दान,चन्दा, अनुदान आदि प्राप्त करना ।

४८: विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी यथा राज्य सरकार, केन्द्र सरकार व अर्न्तराष्ट्रीय सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रमों के संचालन में सहयोग प्रदान करना अथवा संचालित करने का प्रयास करना ।

४९: सिंचाई संसाधन का विकास करना, तथा वर्षा के जल को एकत्रित करने हेतु किसानो को जागरूक करना ।

५०: सिक्योरिटी गार्डों को प्रशिक्षण देना, तथा सशस्त्र सिक्योरिटी गार्ड,डंडा मैन,गन मैन,लेवर,कर्मचारी,आदि उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

५१: मुस्लिम समुदाय के विकास हेतु भारतीय संविधान की धारा २९ व ३० के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालय,महाविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करके अल्पसंख्यक विशेषकर मुस्लिम छात्र-छात्राओं को शिक्षित करने व उन्हें छात्रवृति,छात्रावास व पुस्तकें का प्रयास करना ।

५२: मुस्लिम माइनारिटी के नियमों का पालन करते हुए मदरसों,मकतबों, तहतानियां,फौकानियाँ, आलिया,हाफिज,कारी,मुन्शी,मौलवी,कामिल, आलिम,फाजिल, मुफ्ती,निश्वां मदरसों तथा उच्च स्तर तक की शिक्षा देने हेतु विद्यालयों महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

५३: फसल उत्पादकता मे बृद्धि हेतु कृषि बागवानी एवं कृषि वानिकी से सम्बन्धित कार्य करना ।

५४: किसानों की माली हालत सुधारने का प्रयास करना तथा मूल्यवान पौधे यथा शागौन , शाखू, शीशम आदि का रोपण करवाना एवं उसकी खरीद-फरोख्त करना ।

५५: जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड से जीव जन्तुओं के कल्याणार्थ योजनाओं हेतु आवेदन करना तथा सहायता प्राप्त कर उन्हें भौतिक रूप से क्षेत्र में लागू करना तथा जीव जन्तुओं की रक्षा करने का प्रयास करना । कुलेश्वरनाथ मौर्य

५६: अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति,दलित,कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे लघु एवं सीमान्त कृषकों,भूमिहीनों,मजदूरों एवं ग्रामीण दस्तकारों को स्वःरोजगार में लगाने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने का प्रयास करना ।

५७: जल संरक्षण, जल चक्र व जल संसाधन से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों का संचालन करना एवं स्वच्छ पेय जल लोगों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना, तथा जीव जन्तु क्रूरता निवावरण अधिनिय १६६० के अनुसार कार्य करना तथा आवारा, बेसहारा, लाचार पशुओं को एकत्रित कर उनके चारा व दवा इलाज की व्यवस्था करना तथा उन्हें आश्रय देने का प्रयास करना ।

५८: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत ब्लड बैंक व आक्सीजन प्लांट की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना, तथा एम्बुलेंस संचालन की व्यवस्था करना ।

५९: हिन्दी,उर्दू,अरबी सहित अन्य भाषाओं के विकास के लिए संस्था द्वारा प्रचार-प्रसार करना ।

६०: खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों के कियान्वयन हेतु आनुवांशिक/प्रारम्भिक गतिविधियों को प्रारम्भ करना , तथा विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक व आध्यात्मिक पत्र-पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन एवं संचालन करना ।

६१: किसी व्यक्ति, प्रतिष्ठान, बैंक अथवा स्थानीय प्राधिकारियों अथवा खादी और ग्रामोद्योगी कार्यक्रमों आयोग/अथवा राज्य मण्डल,और अथवा संस्था/और/अथवा/संघ/राज्य सरकार से चन्दा,दान,अनुदान,वसीयत,डोनेशन,उपहार और धरोहरों आदि को प्राप्त अथवा स्वीकार करना ।

६२: ट्रस्ट द्वारा अपने सभी अथवा किन्हीं उद्‌देश्यों को अग्रसर करने के लिए किसी भी भूमि,भवन,सूबाधारी,तथा चल अथवा अचल सम्पत्ति और किसी सम्पदा अथवा हित को दान, क्रय-विनिमय, किराये या पट्‌टे द्वारा अथवा अन्यथा किसी भी तरह से अर्जित करना ।

६३: मकानों, संरचनाओं अथवा भवनों को बनाना, निर्माण तथा रख-रखाव तथा विद्यमान भवन सहित उसमे हेर-फेर,विस्तार,सुधार,मरम्मत,परिवर्तित अथवा किंचित परिवर्तन एवं उसमें प्रकाश,नाली,पानी,फर्नीचरों,जूड़नारों,यंत्रों, उपकरणों,संधित्रों से सुसज्जित और प्रत्येक भवन जिसका निर्माण किया या धारित है, उपयोग के लिए अन्य अवश्यकताओं की व्यवस्था करना ।

६४: ट्रस्ट से सम्बन्धित जो भी परिसम्पत्तियाँ (चल एवं अचल ) होगी, का क्रय विक्रय, प्रबन्धन, हस्तान्तरण,विनियम,बंधक,डिमाइस,पट्‌टा अथवा किराये पर देना निष्पादन अथवा सम्पत्ति के विषय में अन्यथा संव्यवहार करना ।

६५: ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी अथवा किसी चल या अचल परिसम्पत्तियों पर जमानत रहित/या सहित अथवा बंधक प्रभार, भाराक्रान्ति या गिरवी रखना ।

६६: ट्रस्ट की सभी अथवा किन्ही उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए शाखाऐं खोलना एवं संचालन करना और ऐसी अन्य गतिविधियों का उत्तरदायित्व उठाना ।

६७: ट्रस्ट की किसी भी गतिविधियों की उपलब्धि के लिए प्रशासनिक अथवा नेतृत्व सम्बन्धित सभी कानून समस्त कार्य तथा उसके लिए आवश्यक खर्च करना ।

६८: ट्रस्ट के लाभ का उपयोग ट्रस्ट के लक्ष्यों/हितो को पूरा करने में किया जायेगा ।

६९: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग कमीशन/आयोग ,उ० प्र० खादी बोर्ड के पैटर्नानुसार खादी वस्त्रो एवं खादी कच्चे धागों का निर्माण करना तथा इसके लिए लघु उद्योगो की स्थापना व संचालन करके बेरोजगार लोगो को वस्त्र बनाने व वेचने का प्रशिक्षण देकर उन्हे स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

७०: खादी का प्रचार-प्रसार करना तथा इसके निमित्त लघु उद्योगों की स्थापना एवं संचालन करना तथा खादी ग्रामोद्योग कमीशन, उत्तर प्रदेश/केन्द्रीय खादी बोर्ड से ऋण,अनुदान, दान,चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसका उपयोग संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना ।

७१: केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग आयोग/उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से प्रमाण पत्र प्राप्त कर संस्था विकास मे कार्य करना ।

७२: ट्रस्ट के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए मुख्यट्रस्टी/न्यासकर्ता अपने पद नाम से बैंक/बैंकों में खाता/खाते खोलना तथा लेन-देन अथवा जैसी भी आवश्यकता जो बैंक/बैंकों के साथ किसी भी तरीके से संव्यवहार करना ।

७३: कार्यक्षेत्र के निवासियों विशेषकर कमजोर वर्ग के लोगों तथा गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों के सर्वागीण विकास सम्बन्धी कार्यक्रमों का संयोजन तथा संचालन करना

७४: मत्स्य पालन हेतु मत्स्य बीज की सप्लाई करने का प्रयास करना ।

७५: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत तालावों,पोखरों, नदियों आदि का सफाई करने प्रयास करना ।

७६: मत्स्य पालन व्यवसाय को बढ़ावा देना तथा इस निमित्त व्यवसायियों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना ।

७७: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आने वाले तालाबों व पोखरों की साफ-सफाई व जीर्णोद्धार से सम्बन्धित हर प्रकार का कार्य करने का प्रयास करना ।

७८: समयानुसार संस्था के विकास हेतु बी०एड०,एम०एड०, बी०पी०एड०, बी०एल०एड०, सी०पी०एड०,बी०टी०सी०, यू०टी०सी०,एल०एल०बी०,डी०एल०एड०,पैरामेडिकल आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

७९: उत्तर प्रदेश सरकार/भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं यथा जनसेवा केन्द्र, कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों, तथा निःशुल्क ग्राहक सेवा केन्द्रों आदि की स्थापना व संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

८०: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत सी०बी०एस०ई० विद्यालयों,आई०सी०एस०ई० विद्यालयों, आदि की स्थापना व संचालन करना तथा इन्दिरा गाँधी मुक्त विश्व विद्यालय,राजर्षि टण्डन मुक्त विश्व विद्यालय आदि से मान्यता प्राप्त कर विभिन्न विद्यालयों की स्थापना व संचालन करने का प्रयास करना ।

८१: पैरामेडिकल कालेज के अर्न्तगत नर्सिंगहोमों,अस्पतालों,फार्मेसी,पैथालाजी,रेडियोलाजी, फिजियोथैरैपी, ऑप्टोमिट्री, नर्स,आदि प्रशिक्षण केन्द्रो तथा एलोपैथिक, होम्योपैथिक,आयुर्वेदिक, यूनानी आदि मेडिकल कालेजों, नर्सिंग कालेजों व इंजीनियरिंग कालेजों, विश्व विद्यालयों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना ।

८२: राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक, हरिजन कल्याण,बाल कल्याण,महिला कल्याण आदि विभिन्न विभागों द्वारा जारी जनकल्याणकारी योजनाओं का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना

८३: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत आई०टी०आई०, पालिटेक्निक, इंजीनियरिंग कालेजों, मेडिकल कालेजों, आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

८४: पर्यावरण पारिस्थितकी से सम्बन्धित सभी कार्यक्रमों को संचालित करना व करवाना तथा ग्रीन इण्डिया एंव ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जनजागरूकता फैलाने का प्रयास करना ।

८५: दूरस्थ शिक्षा का प्रबन्ध करना एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर शिक्षा के विकास हेतु कार्य करना ।

८६: ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रयास करना तथा गरीब, असहाय, लोगों को भोजन,चिकित्सा,आवास,वस्त्रादि निःशुल्क प्रदान करने का प्रयास करना ।

८७: बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करने हेतु सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अयोजन एवं संचालन करके उनके कृतियों का समाज में प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करना ।

८८: देश के समस्त महापुरूषो व स्वतंत्रता सेनानियों की जयन्ती व पुण्य तिथि आदि को मनाने का प्रयास करना व राष्ट्रीय पर्व मनाना ।

८९: हरितक्रान्ति योजना को सफल बनाने का प्रयास करना तथा उसके द्वारा संचालित समस्त कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन, तथा दुग्ध उत्पादन केन्द्र (डेयरी ) की स्थापना व संचालन करना ।

भुवनेश्वर नाथ गौतम

९०: युवाओं को एकत्र कर उनकी संगोष्ठियों,विचारगोष्ठियों कराना तथा उनके विचारों को आदान-प्रदान करने का प्रयास करना ।

९१: माल,लेबर व कर्मचारी आदि की सप्लाई करना, पायलेट प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन करना तथा सीमेन्ट ईट का निर्माण,मिट्टी ईट का निर्माण, पेट्रोल पंप आदि की स्थापना व संचालन करना ।

९२: बालू खदान, मार्बल खदान, पत्थर खदान, लोहा खदान, कोयला खदान, तालाब खदान आदि विभिन्न प्रकार के खनिज विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों का आयोजन एवं संचालन करने का प्रयास करना ।

९३: शेयर बाजार के बारे में लोगों को निःशुल्क जानकारी देना, तथा इस निमित्त पत्र,पत्रिकाओं, अखबारों व अन्य दैनिक समाचार पत्रों व पत्रिकाओं का प्रकाशन व मुद्रण करने का प्रयास करना ।

९४: ट्रस्टहित में भविष्य में प्राप्त ट्रस्ट की सम्पत्ति यथा भूमि, भवन का क्रय-विक्रय (बेचना व खरीदना) बन्धक, एग्रीमेन्ट, पट्टे, तथा भाड़े आदि पर देना एवं बैंक में ट्रस्ट की कोई भी सम्पत्ति मार्गेज करवाना,लोन लेना, ट्रस्ट के विकास के लिए एन०आर०आई० एवं एन०आर०ओ० खाता खुलवाना तथा विदेश से प्राप्त धन को जनहित व ट्रस्टहित में व्यय करने का प्रयास करना ।

९५: योग, आयुर्वेदिक,प्राकृतिक, होम्योपैथिक,एक्यूप्रेशर आदि पद्धति द्वारा लोगों को मानसिक एवं शारीरिक रूप से निरोग करने का प्रयास करना, तथा इस निमित्त मेडिकल कालेजों आदि की स्थापना व सचांलन करने का प्रयास करना ।

९६: इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिन्ट मीडिया, दूरदर्शन,टेलीवीजन,आकाशवाणी, दूरभाष केन्द्रो आदि की स्थापना व संचालन करना, तथा समाचार पत्र-पत्रिकाओं, साप्ताहिक पत्रिकाओं, मासिक पत्रिकाओं, त्रैमासिक पत्रिकाओं की स्थापना, प्रकाशन, मुद्रण व संचालन करने का प्रयास करना ।

९७: युवाओं में खेलों के प्रति उनके अन्दर जागरूकता पैदा करने का प्रयास ।

९८: शहरी, ग्रामीण व पिछड़े इलाके से कुशल खिलाड़ियों का चयन करना तथा उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देने का प्रयास करना ।

९९: भारत सरकार,प्रदेश सरकार,जिला,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर युवाओ के विकास हेतु चलायी जा रही विशेष खेल योजनाओं को क्रियान्वित करना ।

१००: युवाओं के हितों की रक्षा हेतु कार्य करना तथा उन्हें सरकार द्वारा चलायी जा रही खेल से सम्बन्धित हर योजनाओं का लाभ पहुँचाने का प्रयास करना ।

१०१: युवाओं को शिक्षित-प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित कराने का प्रयास करना ।

भुवनेश्वर नाथ मौर्य

१०२: कुशल खिलाड़ियों के लिए अनुभवी कोचों की व्यवस्था करना तथा उन्हें विभिन्न प्रकार के खेलों का हर सामान उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।

१०३: भारत सरकार में उद्योगो बढ़ावा तथा घर-घर रोजगार हेतु चलाई गयी योजनाओं का जन-जन तक पहुचाना तथा कलस्टर मे लगे अल्पसंख्यों को सरकार द्वारा लाभ दिलाना ।

१०४: बालक/बालिकाओ,खिलाड़ियों के शारीरिक ,बौद्धिक ,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना तथा उनके लिए समय-समय पर खेलों, सेमीनारों ,गोष्ठियों,प्रदशर्नियो आदि का आयोजन,संचालन करना तथा सफल बालक/बालिकाओ,को पुरस्कृत करने का प्रयास करना ।

१०५: गॉवों में रहने वाली गरीब जनता के स्वास्थ्य विकास हेतु जगह-जगह चौपालों,जनजागरूकता कार्यक्रमों,प्रर्दशनियों आदि के द्वारा लोगों को घरों में शौचालय बनाने के लिए प्रेरित करना तथा जगह-जगह निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,पेयजल सफाई एवं निःशुल्क व्यवस्था व संचालन करने का प्रयास करना ।

१०६: किसानों को कृषि विकास से सम्बन्धित जानकारी देना तथा उनके लिए समय-समय पर किसान सेमीनारों, विचार गोष्ठियों,प्रदर्शनियो वाद-विवाद प्रतियोगिताओं, किसान मेलों आदि का आयोजन,संचालन करना सफल किसानों को पुरस्कृत करने का प्रयास करना ।

१०७: किसानों के विकास में आने वाली कृषि समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना

१०८: ट्रस्टहित में जमीन का क्रय-विक्रय करने का प्रयास करना तथा ब्लैक पाटरी उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कार्य करना ।

१०९: गैर सरकारी संगठन (N.G.O.) राजकीय, राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय समस्त कार्यक्रमों का संचालन करना ।

११०: किसी समिति, संस्था, ट्रस्ट द्वारा उसके आग्रह करने पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं आदि को अपने न्यास में विलय करना एवं उनके ट्रस्ट/संस्था को अपने ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना ।

१११: कोराना संक्रमण के नियत्रंण व बचाव के बारे में लोगों जागरूक करना तथा इसनिमित्त कोराना अस्पतालों की स्थापना व संचालन करना, तथा लोगो को वैक्सीन लगवाने हेतु प्रेरित करना ।

११२: अल्पसंख्यक समाज के उत्थान हेतु संविधान की धाराओं के अर्न्तगत लाभ देना, तथा संविधान का ज्ञान देना ।

११३: भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा सभी योजनाओं का प्रचार-प्रसार तथा योजनाओं का संचालन करना । कुलदेश्वर नाथ मौर्य

प्रारम्भिक उपबन्ध :-

१: वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत दिनॉक १८-१०-२०२२ से श्री मुक्तेश्वर नाथ मौर्य जो न्यासकर्ता एवं इस न्यास विलेख के रचयिता भी है, को इस ट्रस्ट डीड का मैनेजिंग ट्रस्टी यानी प्रबन्धक स्वीकृत किया जाता है ।

२: यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक श्री मुक्तेश्वर नाथ मौर्य द्वारा रजिस्ट्रार के यहॉ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न किया जाय तो उनके पश्चात उनके पुत्र/पुत्री जो कि इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी होगें । यदि उनके योग्य पुत्र/पुत्री बालिग न हो तो उनकी पत्नी इस ट्रस्ट की तब तक मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक होंगी जब तक उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय ।

३: वर्तमान में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में ही जब चाहे, अपना उत्तर दायित्व अपने उत्तराधिकारियों या किसी को स्थानान्तरित कर सकता है

४: यदि श्री मुक्तेश्वर नाथ मौर्य के निधन के समय उनके बच्चे नाबालिग हो तो उनकी ओर से उनकी पत्नी को मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का कार्य तब तक सम्भालना होगा जब तक कि उनके पुत्र/पुत्री कानूनी रूप से बालिग न हो जाय ।

५: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक को चाहिए कि अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें यदि ट्रस्ट में किसी भी विन्दु का संशोधन करना है तो इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी स्टाम्प पर उक्त संशोधन टंकित कर रजिस्ट्रार के कार्यालय में प्रस्तुत कर स्वयं उपस्थित होकर संशोधन कराने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक को होगा तथा ट्रस्टी/प्रबन्धक को यह भी अधिकार होगा कि वह स्टाम्प पेपर पर प्रबन्ध समिति का गठन कर उसे रजिस्ट्रार के यहॉं रजिस्ट्री करा लें । इस सन्दर्भ में यह भी स्पष्ट करना है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अपने जीवनकाल के उत्तरार्ध में की गयी रजिस्ट्री/वसीयत ही अन्तिम रूप से मान्य होगी ।

६: यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नही कर सकेगा ।

७: कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनः विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वास्तविक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दें ।

मुक्तेश्वरनाथ मौर्य

८: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अविवाहित या निःस्तान है, और अपना उत्तराधिकारी नियुक्त नही कर पाया हो और उसका निधन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विधिक संरक्षक ( कानूनी अभिभावक) अथवा उसके द्वारा नामित व्यक्ति ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी होगा ।

## बोर्ड आफ ट्रस्टीज

१: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो नियमों पर विचार विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है । जो इण्टरमीडिएट एजूकेशनल ऐक्ट के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव, उपप्रबन्धक/उपसचिव, कोषाध्यक्ष सात सदस्य व तीन पदेन सदस्य होगें जिनकी कुल संख्या १५ होगी

२: बोर्ड आफ ट्रस्टीज के गठन हेतु इच्छुक व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के पास रूपया १०,०००/- सदस्यता शुल्क जमा कर बोर्ड आफ ट्रस्टीज बन सकता हे परन्तु उनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा ,जिसे किसी भी समय बिना कोई सूचना दिये मैनेजिंग ट्रस्टी /प्रबन्धक समाप्त कर सकता है जिसके खिलाफ कोई वाद किसी भी माननीय न्यायालय स्तर पर दायर नही किया जा सकता है। सदस्यता नवीनीनकरण के समय मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक अपने विवेकानुसार सदस्यता शुल्क बढ़ा/घटा सकता है ।

३: यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा । ट्रस्टी का कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/ प्रबन्धक की इच्छा पर निर्भर करेगा, तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी ट्रस्टी का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये उसका ट्रस्टी का पद समाप्त कर सकता है ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक बुला सकता है । जिसकी अध्यक्षता स्वयं मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ही करेगा ।

५: बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा, तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

६: बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना, स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना, पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है । इस सन्दर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य व अन्तिम निर्णय होगा ।

७: ट्रस्टहित में शाखा संस्थाओं के संचालन हेतु ग्रामसभा कमेटियों, न्यायपंचायत कमेटियों, ब्लाक कमेटियों, तहसील कमेटियों, जिला कमेटियों, प्रदेश कमेटियों तथा राष्ट्रीय व अर्न्तराष्ट्रीय कमेटियों व उपसमितियों का गठन एवं संचालन करना ।

सुकदेवप्रसाद मौर्य

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव ,उपप्रबन्धक/उपसचिव ,कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार

१: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के लिए प्रतिदिन के कार्यो को करने एवं देख- भाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए उक्त पदों की नियुक्ति कर सकता है ।

२: उक्त पदों के वेतन भत्ते,सुविधायें, कार्यनियम मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक निश्चित करेगा

३: उक्त व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अनुग्रह तथा प्रसाद पर्यन्त कार्य करेगें मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक विधिक, अनुशासनात्मक/प्रशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है ,अथवा उक्त पदों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित/प्रदान कर सकता है, जिसके विरूद्ध किसी भी पदाधिकारी/सदस्य/कर्मचारी को किसी भी न्यायालय कोई वाद दायर करने का अधिकार नही होगा ।

४: उक्त पदों के सृजन हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक उचित समझें तो स्टैम्प पेपर पर उक्त लोगों के नाम, पिता/पति का नाम, पता व पद को टंकित कर रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित कर सकते है ।

५: इण्टर मीडिएट एजूकेशनल ऐक्ट के अनुसार मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक यदि उचित समझे तो अपने विवेकानुसार एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एक प्रबन्धक/सचिव, एक उपप्रबन्धक/ उपसचिव एक कोषाध्यक्ष सहित सात सदस्य व तीन पदेन सदस्यों का पद सृजन कर सकता है । इनका कार्यकाल मात्र एक वर्ष का होगा, लेकिन ट्रस्टी प्रबन्धक जब भी चाहे अथवा एक वर्ष बाद इनके कार्यो से सन्तुष्ट हो तो इन्हें पुनः उसी पद रख सकता है अथवा असन्तुष्ट होने पर उनको उक्त पद से जब भी चाहे हटा सकता है ।

६: उक्त निष्कासन के बाद किसी भी सदस्य/पदाधिकारी को किसी भी माननीय न्यायालय स्तर पर किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर नही कर सकता है । मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक का निर्णय ही मान्य होगा ।

७: किसी अन्य व्यक्ति का ट्रस्ट पर या ट्रस्ट की सम्पत्तियों पर या ट्रस्ट की सदस्यता पर किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार नही होगा ।

## मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक के अधिकार व कर्तव्य

१: बोर्ड आफ ट्रस्टी के बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना ।

२: ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करना ।

३: ट्रस्ट के अर्न्तगत उल्लेखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली मे संशोधन/परिवर्तन करके रजिस्टार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत कराना एवं उसे मान्य करवाना, तथा आवश्यकता पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्ति का क्रय-विक्रय करना ।

मुन्नेश्वर नाथ ओम

४: ट्रस्ट के उद्‌देश्यो की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय व कार्यवाही करना ।

५: ट्रस्ट के अर्न्तगत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियत्रंण रखना ।

६: ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति, पद मुक्ति तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही करना ।

७: विभिन्न कार्यकलापों एवं उद्‌देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोषों/विभागों/ केन्दों/ संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन करना उनके संयोजकों/निवेशकों पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना ।

९: ट्रस्ट को प्राप्त किसी भी शिकायत पत्र की जॉच कर निर्णय देना ।

१०: एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना ।

११: ट्रस्ट के प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

## ट्रस्ट के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रियाः-

ट्रस्ट के नियमों एवं विनियमों में संशोधन ट्रस्ट अधिनियम की संगत धाराओं के तहत ट्रस्टी /ट्रस्टियों की सहमति पर नियमानुसार की जायेगी,तथा विभिन्न कमेटियों का गठन कर ट्रस्टी प्रबन्धक स्वहस्ताक्षर से प्रमाणित कर विभिन्न संस्थाओं/प्रतिष्ठानों/विद्यालयों/प्रशिक्षण संस्थाओं/कालेजों/महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/मेडिकल कालेजों आदि के विभिन्न कार्यालयों में मान्यता प्राप्त करने एवं अन्य कार्यो हेतु उपलब्ध करायेगें । परन्तु विवाद की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी का निर्णय ही मान्य होगा ।

## :- खाता संचालन की व्यवस्था -:

१: ट्रस्ट का खाता किसी बैक, वित्तीय संस्था अथवा पोस्ट आफिस में ट्रस्ट के नाम से खोला जायेगा । जिसका संचालन मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

२: ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान/ केन्द्र/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय का पृथक-पृथक नाम से बैंक खाता संचालित किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में स्वयं मैनेजिग ट्रस्टी/प्रबन्धक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही खाते का संचालन किया जायेगा ।

## विधिक कार्यवाही

ट्रस्ट द्वारा अथवा उसके विरूद्ध किसी भी प्रकार की कोई विधिक कार्यवाही जनपद-बलिया के न्यायालय में ही की जायेगी । मैनेजिंग ट्रस्टी की अनुमति से अधिवक्ता नियुक्ति होगा एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं अथवा ट्रस्टी द्वारा नियुक्त किसी अन्य सक्षम पदाधिकारी/सदस्य द्वारा किया जायेगा ।

मुक्तेश्वर नाथ भौमि

## भविष्य में प्राप्त सम्पति सम्बन्धित :-

१: ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्टी वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक व्यक्ति को प्राप्त होते है ।

२: ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने, लेख-विलेख बनाने हेतु मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है ।

३: ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत होगा ।

४: मैनेजिंग ट्रस्टी/प्रबन्धक ट्रस्ट के चल/अचल सम्पत्ति का क्रय-विक्रय पट्टा कर सकता है, अथवा रेहन रख सकता है या किराये पर दे अथवा ले सकता है ।

५: ट्रस्ट किसी भी व्यक्ति,प्रतिष्ठान,संस्था,राज्य सरकार,केन्द्र सरकार अथवा विदेशी सरकार से ऋण, दान, अनुदान,उपहार, चन्दा,आग्रह, भेट,सम्मान पुरस्कार,स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त व प्रदान कर सकता है ।

६: ट्रस्ट अपनी आय को कहीं भी विनियोजित कर सकता है , सुरक्षित कर सकता है । किसी भी संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में अपनी आय को विनियोजित कर सकता है ।

७: चल /अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति, भाड़ा, क्रय, अनुज्ञप्ति, बन्धक, भाराक्रान्ति विनियोजित आदि कर सकता है, तथा ले अथवा दे सकता है ।

८: ट्रस्ट पूर्ण रूप से अप्रतिलाभकारी (Irrevocable) प्रकार का होगा ।

### -: अतिरिक्त नियमों का समावेश :-

( अतिरिक्त नियमों का समावेश) निम्नलिखित नियमों का समावेश ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों के संचालन हेतु किया गया है ।

क: विद्यालय के पंजीकृत ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन होगा ।

ख: विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सदस्य होगा ।

ग: विद्यालय में कम से कम १० प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति /अनुसूचितजन जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगें और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

मुक्तेश्वरनाथ ओझा

घः ट्रस्ट द्वारा राज्य सरकार से हर प्रकार के अनुदान की मॉग की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेण्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजूकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से ही सी०बी०एस०ई० विद्यालय का संचालन प्रारम्भ कर दिया जायेगा ।

ड़ः ट्रस्ट के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों के अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नही दिये जायेगें ।

चः कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवा निबृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें ।

छः राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे ट्रस्ट उनका पालन करेगा ।

जः विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

झः उपरोक्त शासन के नियम/प्रतिबन्ध क्र०सं० क से ज तक हमें स्वीकार है । उक्त शर्तों में बिना शासन के पूर्वानुमोदन के कोई परिवर्तन/संशोधन नही किया जायेगा।

## -: विघटन की कार्यवाही :-

यदि किसी कारण वश ट्रस्ट की गतिविधियां रूक जाती है या ट्रस्ट को विघटित करना पड़ता है तो उसकी परिसम्पतियों को आपस में बाटा नही जायेगा। बल्कि किसी समान उद्देश्य वाली ट्रस्ट/सोसाइटी को स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ।

## :- विशेष -:

१: इस ट्रस्ट के अर्न्तगत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय कार्यक्रम इकाई, कार्यालय, संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक-पृथक रूप से कमेटियों का गठन किया जायेगा ।

२: नियम/उपनियम आदि बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट के उद्देश्य व नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं, तो वह नियम/उपनियम,अतिक्रमण की सीमा तक शून्य है ।

कुलेश्वर नाथ मौर्य